# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

कमांकः–स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2325/2022 दिनांक : 27.07.2022

**श्रीमती मनोरमा मीणा** (RJ0823), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकराय (दौसा) को दिनांक 08.08.2022 से 03.02.2023 तक ***180*** दिवस का ***मातृत्व अवकाश (द्वितीय संतान)*** दिनांक 07.08.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

***श्रीमती रूपल अग्रवाल*** (RJ1307), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकराय (दौसा)को श्रीमती मनोरमा मीणा के उक्त ***मातृत्व अवकाश*** की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ--साथ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकराय (दौसा) के पद का ***अतिरिक्त कार्यभार*** सम्पादित किये जाने हेतु एतद्द्वारा ***पदस्थापित/नियुक्त*** कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:–

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
2. ***श्रीमती रूपल अग्रवाल*** (RJ1307), जिनको वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकराय (दौसा) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

***आज्ञा से,***

26.07.2022

***रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)***

कमांकः–स्था.बी.2 (4)/105/2013/5359 दिनांक 27.07.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा को उनके पत्रांक 5657 दिनांक 28.06.2022 के सन्दर्भ में ।
3. **श्रीमती मनोरमा मीणा** (RJ0823), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकराय (दौसा)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकराय (दौसा) ।
5. ***श्रीमती रूपल अग्रवाल*** (RJ1307), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकराय (दौसा)।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकराय (दौसा)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण–पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा. उ.न्या., जोधपुर ।

***सहायक रजिस्ट्रार***